

G.A-I
7-2-14. 12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ Of 2014

Shobha Kumari.

..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.

..... Respondents.

Sub : Termination matter (Anganbari Sevika)

Gent - Service - Non. Goyal

INDEX

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars.</u>	<u>Pages No.</u>
1.	Synopsis of the case.	1 to <u>III</u>
2.	An application under Article 226 of the Constitution of India with affidavit.	1 to 11
3.	Annexure-1 A copy of the order dated 21.12.2013	— 12 to 14
4.	Annexure-2 A copy of the order, dated 28.11.2011	— 15
5.	Annexure-3 A copy of the proceeding of Aam Sabha dated 3.6.2007	— 16 to 24
6.	Annexure-4 A copy of the letter dated 14.6.2007	— 25
7.	Annexure-5 A copy of the letter dated 29.6.2007	— 26
8.	Annexure-6 A copy of the order dated 25.11.2010	— 27
9.	Annexure-7 A copy of the relevant pages of mapping register	— 28 to 29
10.	Annexure-8 A true photocopy of the marks sheet of Madhyama Examination of the respondent no.7 dated 5.7.2006	— 30
11.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**(Civil Writ Jurisdiction)****C.W.J.C.No. _____ Of 2014****Shobha Kumari. Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors. Respondents.****SYNOPSIS**

Relief : For issuance of appropriate writ (s), direction (s) for quashing the order dated 21.12.2013 passed by the respondent no.3 in Anganbari Appeal Case No.154 of 2012 and also the order dated 28.11.2011 passed by the respondent no.4 whereby and where under the appointment of the petitioner has been cancelled and further for commanding the respondents to reinstate the petitioner and to pay the honorarium to her treating her as in continuous service.

Dates :**Events :**

For appointment as Anganbari Sevika at Birgaon Beldari Tola centre no.74, altogether

13 candidates had applied including the petitioner and the respondent no.7.

3.6.2007

An Aam Sabha was held in which the petitioner had appeared.

In Aam Sabha it was firstly decided that as the area of the Anganbari centre is backward caste majority area, therefore, as per the guideline a candidate from the backward caste category only can be selected as Anganbari Sevika.

Out of total 13 candidates 9 were found resident of out of the area, therefore, they cannot be selected, 2 were found having lower marks than the petitioner.

So far the respondent no.7 is concerned, she belongs from the category of extremely backward caste.

14.6.2007

The petitioner was nominated for training.

29.6.2007

The petitioner was selected as Anganbari Sevika.

25.11.2010

The respondent no.7 moved this Hon'ble High Court by way of filing C.W.J.C.No.9097 of

2008, which was disposed of with a direction to the respondent no.4 to decide the grievance of the respondent no.7 if she has represented within a year of selection.

28.11.2011 The respondent no.4 have considered the case of the respondent no.7 and cancelled the selection of the petitioner.

21.12.2013 The respondent no.3 has passed an order by which the appointment of the petitioner has been cancelled.

Hence, this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ Of 2014

In the matter of an
application under Article 226
of the Constitution of India;

AND

In the matter of :-

Shobha Kumari wife of Ghanshyam Kumar @ Ghanshyam
Yadav, resident of village-Birgaon, P.O. Chatra, Police Station-
Gwalpara, District-Madhepura.

..... **Petitioner.**

-Versus-

- 1) The State of Bihar through the Secretary, Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.
- 2) The Director, I.C.D.S., Social Welfare Department, Govt. of Bihar, Patna.
- 3) The Divisional Commissioner, Koshi Division, Saharsa.
- 4) The District Magistrate, Madhepura.

- 5) The District Programme Officer, Madhepura.
- 6) The Child Development Project Officer, Gwalpara, District-Madhepura.
- 7) Aruna Kumari wife of Bisheshwar Singh, resident of village-Latipur, Police Station-Bihpur, District-Bhagalpur, at present residing at village- Birgaon, P.O. Chatra, Police Station-Gwalpara, District-Madhepura.

..... Respondents.

To

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That, this is an application for issuance of appropriate writ (s) / direction (s) for quashing the order dated 21.12.2013 passed by the respondent no.3 in Anganbari Appeal Case No.154 of 2012 and also the order dated 28.11.2011 passed by the respondent no.4 whereby and where under the appointment of the

petitioner has been cancelled and further for commanding the respondents to reinstate the petitioner and to pay the honorarium to her treating her as in continuous service and also for grant of all other consequential reliefs/benefits for which the petitioner is found entitled to.

The copies of the orders dated 21.12.2013 and 28.11.2011 are being annexed herewith and marked as Annexure-1 & 2 respectively to this application.

2. That, this writ application is inter alia based on the following **GROUNDS** :-
- i) That, the impugned orders as contained in Annexure-1 & 2 are illegal, improper, unjustified, arbitrary, malafidy and against the settled principles of law.
 - ii) That, while passing the impugned order the respondents have ignored the crucial fact that the father of the respondent no.7, namely, Jagdish Mandal was a Govt. servant posted in Gwalpara Block as 4th grade employee (Dak Peon) in postal

department and as such, the respondent no.7 cannot be selected as Anganbari Sevika because it is contrary to the guidelines for selection of Anganbari Sevika.

- iii) That, one another important fact has been ignored by the respondents while passing the impugned order that the petitioner has 62.7% marks whereas the marks of the respondent no.7 is only 61.5%.
- iv) That, the impugned orders as contained in Annexure-1 and 2 has been passed saying that the Anganbari centre in question is an area of majority of extremely backward caste, therefore, the selection of the petitioner was illegal, but in fact, the said area of Anganbari centre is an area of backward caste majority and not extremely backward caste, and, as such, the selection and appointment of the petitioner was fully justified and legal. The impugned orders have been passed ignoring this crucial fact in arbitrary and malafidy manner.
- v) That, the respondent no.4 and 3 have considered the claim of the respondent no.7 contrary to the

order of this Hon'ble High Court dated 25.11.2010, in which it was clearly said that her case will be considered only if she had represented within a year from the selection, but admittedly she had represented in the year 2011 as such, her case / claim was fit to be rejected and not to be considered.

3. That, the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That, for appointment as Anganbari Sevika at Birgaon Beldari Tola centre no.74, altogether 13 candidates had applied including the petitioner and the respondent no.7. For selection of Anganbari Sevika at centre no.74 an Aam Sabha was held on 3.6.2007 in which the petitioner had appeared. It is relevant to state here that the petitioner's qualification was Intermediate Arts with 62.7% marks whereas the qualification of the respondent no.7 was Madhyama with 61.5% marks. In Aam Sabha it was firstly decided that as the area of the Anganbari centre is backward caste majority area, therefore, as per the guideline a candidate from the backward caste category only can be selected as Anganbari Sevika. Further it was found that out of total 13

candidates 9 were found resident of out of the area, therefore, they cannot be selected, 2 were found having lower marks than the petitioner. So far the respondent no.7 is concerned, she belongs from the category of extremely backward caste and not backward caste, therefore, she cannot be selected. In such circumstance, the petitioner was found only eligible and fit candidate for selection and hence, she was selected and appointed as Anganbari Sevika.

A copy of the proceeding of Aam Sabha dated 3.6.2007 is being annexed herewith and marked as Annexure-3 to this application.

5. That, in terms of the decision of the Aam Sabha, the petitioner was nominated for training vide letter dated 14.6.2007 and after completion of the said training successfully a selection letter was issued selecting the petitioner as Anganbari Sevika vide selection letter dated 29.6.2007.

The copies of the letter dated 14.6.2007 and 29.6.2007 are being annexed herewith and

marked as Annexure-4 & 5
respectively to this application.

6. That, the respondent no.7 moved this Hon'ble High Court in the year 2008 by way of filing C.W.J.C.No.9097 of 2008, which was disposed of vide order dated 25.11.2010 with a direction to the respondent no.4 to decide the grievance of the respondent no.7 if she has represented within a year of selection.

A copy of the order dated 25.11.2010 is being annexed herewith and marked as Annexure-6 to this application.

7. That, after the order dated 25.11.2010 passed by this Hon'ble High Court, the respondent no.4 have considered the case of the respondent no.7 which was not permissible in terms of the order of this Hon'ble High court because she had represented before the respondent no.4 after four years from the date of selection of the petitioner and not within a year.

8. That, the respondents have cancelled the appointment of the petitioner vide impugned orders as contained in Annexure-1 and 2 saying that the petitioner

was selected being a candidate of backward caste and the area of the centre was majority of extremely backward caste. This fact is absolutely incorrect. From perusal of the relevant pages of the mapping register it is evidently clear that the area of the centre have majority of backward caste population having population of backward caste as 642 whereas the population of extremely backward caste is only 390 and as such, the impugned order is not sustainable on the basis of this crucial fact.

A copy of the relevant pages of mapping register is being annexed herewith and marked as Annexure-7 to this application.

9. That, it is relevant to point out here that the marks of the respondent no.7 has been shown as 67% in her Madhyama Examination, but in fact her marks has been shown 67% including the marks obtained by her in extra subject and excluding the marks of extra subject her marks is only 61.5%.

A true photocopy of the marks sheet of Madhyama Examination

of the respondent no.7 dated 5.7.2006 is being annexed herewith and marked as Annexure-8 to this application.

10. That, it is humbly submitted here that the respondents have passed the impugned orders as contained in Annexure-1 and 2 in mechanical, arbitrary and malafidy manner ignoring /flouting several crucial facts and even ignoring the relevant provisions also and, as such, the impugned order as contained in Annexure-1 and 2 are fit to be set aside.
11. That, in the facts and circumstances as stated above, the petitioner has got no other alternative and efficacious remedy than to move this Hon'ble High Court for redressal of her genuine grievances.
12. That, the petitioner has not moved this Hon'ble High Court any time earlier against the impugned orders as contained in Annexure-1 & 2 to this writ application.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to issue notice to the respondents and after hearing the parties allow

the writ application and grant relief/s as prayed for in paragraph no.1 of this writ application.

And / Or

be pleased to pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

A n d

During the pendency of this writ application the operation of impugned order dated 21.12.2013 and 28.11.2011 as contained in Annexure-1 & 2 to this writ application may kindly be stayed.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Shobha Kumari, aged about 38 years, wife of Ghanshyam Kumar @ Ghanshyam Yadav, resident of village-Birgaon, P.O. Chatra, Police Station-Gwalpara, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That, I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, the contents of this petition have been read over and explained to me, which I have fully understood and believe them to be true to my knowledge.
3. That, the statements made in paragraph nos. 3, 4 (p), 5, 11 and 12 are true to my knowledge and the statement made in paragraph nos. 4 (p) and 6 to 9 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble High Court.
4. That, the Annexures are true/typed copies of their respective original.

Shobha . Kumari

अनुसूची घ - फारम सं०-

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, घ० घ का नियम घल०)

आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला सं० सन् घ०

केस का प्रकार

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर घ	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित घ
	<p>न्यायालय आधुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या: 154/2012 शोभा कुमारी — अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य — रेस्पॉण्डेन्ट्स/विपक्षीगण -आदेश:-</p> <p>प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.11ई० विविध वाद संख्या 03/2011के विरुद्ध खिलाफ रेस्पॉण्डेन्ट दाखिल किया गया है।</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी/ आवेदिका अरुणा कुमारी पति विमेश्वर सिंह सा० वीरगांवटोला बेलदारी ग्राम पंचायत वीरगांव चतरा थाना मुरलीगंज (अरार ओ०पी०) जिला मधेपुरा ने निम्नन्यायालय के समक्ष नवसृजित आंगनवाड़ी केन्द्र बीड़गांव बेलदारी टोला, पंचायत- वीरगांव चतरा, थाना- मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा के लिए आवेदन समर्पित की थी, लेकिन मुखिया पंचायत सचिव एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पिछड़ी जाति की आवेदिका शोभा कुमारी पति धनश्याम यादव का चपन सेविका पद पर नियम के विरुद्ध किया गया है। इस आंगनवाड़ी केन्द्र पोषक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ी जाति की बहुलता बतलाया गया है।</p> <p>आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी वाद संख्या सी०डब्लू०जे० नं० 9097./08 अपील किया गया वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीन माह के अंदर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदिका के शिकायत का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस कं कम ने कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ग्वालपाड़ा की उपस्थिति दिनांक 03.06.07 को विभागीय निर्देशों के आलोक में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें 13 अभ्यर्थियों ने अपने संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित हुए वो रंजू कुमारी, कुमारी हीरा, कुमारी भीना, रानी कुमारी, मुन्ना कुमारी, चंचल कुमारी, बीभा कुमारी, केन्दुला कुमारी, एवं आशा कुमारी पोषक क्षेत्र के बाहर की रहने के कारण वे विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति हेतु अयोग्य थीं।</p>	



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, E-FILE & PRODUCTION DEPT.
SARVA RNSA SCORE SARANSYA (RESERVE)
COURT FEE
STAMP DUTY
00000
0000011
31.12.2013
BIHAR JUDICIAL

2

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रूबी कुमारी एवं गुंजन कुमार का अंक 55 प्रतिशत से कम था और अरुणा कुमारी पति विशेश्वर सिंह बीरगांव की लड़की थी और उनके ससुर जगदीश मंडल ग्वालपाड़ा प्रखंड में पदस्थापित हैं अतएवं उनका आवेदन नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि इस तरह अपीलार्थी का प्राप्तांक 62.70 प्रतिशत था जो एक मात्र आंगनबाड़ी सेविका के लिए नियुक्त की गयी वो प्रशिक्षण में भेजी गयी वो दिनांक 20.06.07 से 26.06.07 तक प्रशिक्षण भी प्राप्त की। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/आवेदिका लगातार 5 वर्षों तक कार्य की वो 4 वर्षों के बाद अरुणा कुमारी पति विशेश्वर सिंह जो बीरगांव टोला की पुत्री है के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष एक आवेदन दिया गया जिसके द्वारा आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी शोभा कुमारी जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं जबकि उस टोला में अतिपिछड़ी जाति की बाहुलता है। आगे यह भी कथन करते हैं कि उनके द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 9097/2008 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को तीन माह के अन्दर अरुणा कुमारी पति विशेश्वर प्रसाद सिंह के शिकायत आवेदन को तीन माह के अन्दर निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं उक्त आलोक में विज्ञ जिलाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में विविध वाद 03/2011 दायर किया गया था विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बिना पोषक क्षेत्र की पारिवारिक सूची की जाँच किए अथवा संबंधित पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किए आदेश दिनांक 20.11.2011 द्वारा आवेदिका को चयनमुक्त कर दिया गया वो अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश के विरुद्ध अनुवोध हेतु इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है ।

रेस्पॉण्डेन्ट/विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में वहस के कम में कथन करते हैं कि ग्राम पंचायत बीरगाँव, चतरा थाना मुरलीगंज प्रखंड मुरलीगंज, मधेपुरा में एक आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड नं० 4 एवं 6 के अंश ले मिलाकर गठित किया गया था वो उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र में चूकि अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं इसलिए अति पिछड़ी जाति में से ही आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होनी थी क्योंकि उस केन्द्र के पोषक क्षेत्र में 110 बेलदार परिवार है तथा 40 गोड़ी जाति के घर है इसके बाबजूद चमार जाति के लोगों का भी धर है तथा जानबूझकर मैपिंग पंजी पर इक गिरा दिया गया । आगे यह भी कथन करते हैं कि रिस्पॉण्डेन्ट बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित मध्यमा परीक्षा जो मौद्रिक की मान्यता प्राप्त है, में प्रथम श्रेणी में पास की है । तथा प्राप्तांक 67 प्रतिशत है ।

रेस्पॉण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि चूकि प्रतिपक्षी सं० 2 यादव जाति के है, इसलिए अपने रिश्तेदार शोभा कुमारी को यादव जाति की है तथा जिन्हें मात्र 62 प्रतिशत अंक प्राप्त है ।

रेस्पॉण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि आवेदिका की शादी ग्राम लत्तीपुर थाना बीहपुर जिला भागलपुर में हुई थी तथा इस आवेदिका का मायके ग्राम -वीरगाँव थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा में था, परन्तु रेस्पॉण्डेन्ट/आवेदिका विगत 14-15 वर्षों स्थायी रूप से अपने मायके यानी वीरगाँव में बस गयी है तथा तब



GOVT OF BIHAR
 REGISTRATION EXCISE & PROBATION DEPT.
 SAHARSA SCORE SAHARSA (RESERVE)
COURT FEE
 00000
 0000001
 31.12.2013
 JUDICIAL
 STAMP DUTY
 00000
 375328
 BIHAR

INDIA
 Authorisation No. 874
 375328
 BIHAR

लगातार वीरगाँव के बेलदारी टोला में ही रहती रही है, जिसका प्रमाण में निम्नन्यायालय के समक्ष डेस्पोजण्डेन्ट/विपक्षी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र सं 795 दिनांक 19.07.07, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण -पत्र सं 890 दिनांक 19.02.07, मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं जारी पहचान पत्र, निबंधित विक्रय पत्र सं 947 दिनांक 25.02.05 को एवं निबंधित विक्रय पत्र सं 03525 दिनांक 18.08.06 को जमीन खरीद की है तथा उसमें निवासी वीरगाँव टोला बेलदारी है कथन किया गया था। इस प्रकार इतने सबूतों के बावजूद भी तथा अधिक अंक प्राप्त करने व अति पिछड़ी जाति की होने के बावजूद भी अंगनबाड़ी सेविका पद पर यह कर नियुक्ति नहीं की गयी कि यह आवेदिका वीरगाँव की बेटी है, जो हास्यास्पद बतलाया है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में सरकार के पक्ष में कथन करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश को सही बताया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकन से पाया कि प्रश्नगत केन्द्र पर अतिपिछड़े वर्ग को बाहुल्य है। मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुसार सेविका का चयन बाहुल्य वर्ग से किया जाना है। प्रश्नगत केन्द्र पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिवों के साँठ गोंठ से पिछड़े वर्ग की शोभा कुमारी का चयन मार्गदर्शिका के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः निम्न न्यायालय जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा सभी तथ्यों की विवेचना का ~~अपील~~ ~~अपील~~ के मूल आधार पर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है। अस्तु अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

[Signature]
अधिवक्ता

कोशी प्रमंडल, सहरसा

[Signature]
अधिवक्ता

कोशी प्रमंडल, सहरसा

अपील
2014
5/11/14
357
5/11/14

प्रमाणित प्रतिलिपि

357 क्रमांक मा
4/11/2014

अभिलेखपाल,

आयुक्त कार्यालय

कोशी प्रमंडल, सहरसा

गण. अ. नि.प्र. १ सन १९७०

गण. अ. प्र. ०१०

Authorization No. 871

COURT FEE

INDIA

375328

Stamp Duty
000000
31.12.2013



0000001

31.12.2013

BIHAR JUDICIAL

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EJECTMENT & PROTECTION DEPT.
SAHARSA SCORE SAHARSA (RESERVE)

BIHAR JUDICIAL

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

विविध आंगनवाड़ी अपील वाद सं०-०३/२०११ अरुणा कुमारी बनाम शोभा कुमारी एवं अन्य

+++++

--: आदेश :-

28-11-2011

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अभिलेखों की जाँच करने के बाद यह स्पष्ट है कि अतिपिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद पिछड़ी बाहुल्य वालों को चयनित किया गया, जो कि नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। अतः शोभा कुमारी का चयन रद्द किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि फिर से नये सिरे से सेविका के चयन की कार्यवाही करें।

ह०/-

समाहर्ता,
मधेपुरा।

+++++

झापांक...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....

प्रतिलिपि : निदेशानुसार शोभा कुमारी पति श्री धनश्याम यादव, सा० बीरगाँव, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा (प्रतिवादी); अरुणा कुमारी पति श्री विशेश्वर सिंह, सा० बीरगाँव टोला बेलदानी, ग्राम पंचायत बीरगाँव चतरा, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा (वादी); श्री जय नारायण यादव पे० स्व० लखेश्वर यादव, मुखिया, ग्राम पंचायत बीरगाँव चतरा, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बीरगाँव चतरा, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना एवं समरूप कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।

PAGE NO.	
DATE	

आज दिनांक - 3-6-2007 को, बालविकास परिषद का कार्यालय के पत्रांक 261-2 दिनांक 24-5-07 के निर्देशानुसार मुंबई का श्री जयनारायण शास्त्री के अखण्डता में दिन के 12 बजे नवसंज्ञित प्रांगण विद्यालय केंद्र की पीठ में वीरगांधी सेवा केंद्र की वार्डन एवं 6 के शिक्षक को प्रोत्साहित करने का श्रीगणेश सेवा के सहयोगी को समय है, पर्यवेक्षण, प्रेरक के समक्ष आग सभा की गयी जिसमें निम्न हस्ताक्षरित एवं निर्धारित कार्य उपलब्ध हुए।

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature
3-6-07

Handwritten signature
26/07
मुंबई
श्री जयनारायण परिषद का

- 1 सुशीलाका शास्त्री ग.प्र. मुंबई
- 2 गीता कुमारी शास्त्री
- 3 सुश्रीपामला शास्त्री
- 4 प्रदीपदेव मङ्गल
- 5 सुश्री चेल्ल
- 6 अशोक मङ्गल
- 7 सुश्री मङ्गल
- 8 गौपाल मङ्गल
- 9 देवनाथ मङ्गल
- 10 सुलाभ मङ्गल
- 11 जयनारायण मुंबई
- 12 नटू मङ्गल

13 सुगत सुगत वीर

14 गजक माहती

15 बालेश्वर प्रोफा

16 देवव्रत प्रहो

17 जहरी महती

18 जय प्रकाश महती

19 वैश्वरी महती

20 श्री गणेश महती

21 विष्णु महती

22 ज्ञानेश्वर महती

23 चण्डीमहात्म्य

24 शिकण्डिका

25 अमर कुमार भाव

26 राजेश्वर प्रो भाव

27 विकास कथा

28 राजेश्वर

29 श्री गणेश महती

30 राजेश्वर महती

31. इतन देव मंडल
32. विद्या मंडल
33. विद्या मंडल
34. उमेश कुमार
35. जगदीश मंडल
36. राजेश कुमार
37. अंकुश मंडल
38. राजेश कुमार
39. चंद्रशेखर मंडल
40. Bansi K.V.
41. अमित कुमार
42. देवी मंडल
43. उमेश कुमार
44. विद्या मंडल
45. उमेश कुमार
46. राजेश कुमार
47. राजेश कुमार
48. राजेश कुमार

49 सांजीव कुमार

50 मनीष कुमार

(51) अमित कुमार

52 राम कुमार यादव

53 वकील राम

54 दिनेश यादव

55 अनिल कुमार

56 हर्षित कुमार

57 नरेण यादव

58 पंकज कुमार

59 अरुण कुमार

60 राजेश रंजन कुमार

61 अजय कुमार

62 सुनील कुमार यादव

63 सुनील कुमार यादव

64 विक्रम यादव

65 राजेश कुमार यादव

66 सुदीप कुमार

67 श्री वीर सिंह

68 कुर्वश्यामन यादव

69 श्री लक्ष्म यादव

70 कपिल यादव

71 प्रमोद कुमार

72 विजय कुमार

73 विजय यादव

74 सुदीप यादव

75 वरुणेश यादव

76 राजेश कुमार

77 अनिल यादव

78 वज्रलिंगी यादव

79 चारुसिंह यादव

80 वसुधाकर

81 पित्तु यादव

82 सिंहवरी यादव

83 गणेशी यादव

84 कुवर यादव

85 चंद्रशेखरी यादव

86 शोभा थावर

87 दिनेश थावर

88 चन्द्रेश्वरी थावर

89 गौरी थावर

90 मधुसूदन

91 गणपत (उप मुखिया)

92 चन्द्रेश्वरी थावर

93 हरिमन्दन थावर

94 कुलदीप थावर

95 उदितनाथ थावर

96 बलराम थावर

97 संजय थावर

98 श्रीमती कुमारी

Teacher's Signature

प्रस्तावक (1) पवन सभिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों
 उपस्थिति में मुखिया श्री जयनाथ यादव की
 अध्यक्षता में एवं जिना के प्रतिनिधुक्त
 पदाधिकारी एवं ग्रामीण महिलाओं एवं
 पुरुषों की उपस्थिति में ग्राम सभा की
 कार्यवाही प्रारंभ की गई। ग्राम सभा में
 आंगन वाड़ी विविधा सिद्धान्तों के चयन
 के त्तर सरकार द्वारा निगत मांगदस्ती
 को पढ़कर सुनाया गया। मंजूर पंजी
 के चौकड़ी के बारे में भी वी.जी. की कलिया
 गया। मंजूर पंजी में अनसंख्या के आबाद
 पर घर कुंदा पिछड़ी जाति वाइलय क्षेत्र की
 अतः इस कुंदा में पिछड़ी जाति के आवेदियों
 का चयन किया।

सर्विकु पद के लिए कुल 13
 (तीन) आवेदियों के जो निम्नलिखित हैं।

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	मेरठ जिला अन्तर्गत
01.	श्रीमा कुमारी	दान प्रयाग कुमार	62-74. पिठक
02.	शैल कुमारी	पंकज कुमार	60-7. पिठक
03.	अनंदा कुमारी	विजयकु सिन्हा	67-1. अठफाठ
04.	कुमारी श्री	अनंदा प्रयाग कुमार	65-3. पिठक
05.	कुमारी मीना	कृष्णनाथ यादव	73-8. पिठक
06.	शानी कुमारी	संतोष कुमार सुम	64-5. पिठक
07.	मुन्नी कुमारी	कृष्ण कुमार यादव	85-6. पिठक
08.	चंचल कुमारी	विजय कुमार सिन्हा	40-7. सामान्य
09.	विभा कुमारी	सिद्धेश कुमार	68-4. पिठक
10.	रुबी कुमारी	अशोक यादव	54-8. अठफाठ
11.	गुजन कुमारी	शंकर कुमार यादव	54-8. पिठक
12.	कुंदा कुमारी	जगन्नाथ यादव	56-4. पिठक
13.	आशा कुमारी	उमाशंकर यादव	57-8. पिठक

क्रमांक 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 के
 आवेदिक पत्रों को संत के वाद में एवं क्रमांक 03 की
 पत्रों को संत के वाद में। अतः पत्रों एवं समिति से
 इस वर्ष आवेदिका के आवेदन को निरस्त किया
 जाता है। क्रमांक 03 (तीन) आवेदिकाओं को

की वही है। एवं उनके पिताजी गोविंद जी
 लखनऊ में जो कि आठपाडा प्रखण्ड अन्तर्गत
 पोस्ट आँधीस में कार्यरत हैं। अतः इसके
 आवेदन को भी सर्वसम्मति से आम सभा
 में निरस्त किया जाता है। अतः श्रीमान् कुमारी
 पति - धनश्याम कुमार, जो कि पोस्ट क्षेत्र
 में हैं। आर्थिक अंक 62-71. कारण करने
 के कारण सर्व सम्मति से आम सभा
 में सेविडा पद के लिए चयन किया
 जाता है। श्रीमान् कुमारी पति - धनश्याम
 कुमार, आगनवाड़ी सेविडा / सहायिका के
 सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के सभी
 नियमों का पालन करती हैं। एवं सभी
 आवेदिका में सबसे ज्यादा अंक धारण
 करने के कारण सेविडा पद के लिए
 सर्वसम्मति से आम सभा में चयन किया
 जाता है।

प्रस्ताव संख्या - 02 सहायिका - सहायिका
 पद के लिए कुल 3 वीं आवेदिका हैं।
 जो निम्न लिखित हैं।

क्रमांक	नाम	पिता/पति/अनाक	पैदाई अन्वेष
01.	रामसुन्दरी कुमारी	राम मधुसूदन	सर्वप्रथम अधिका
02.	सुखी कुमारी	राम कुमार यादव	सप्तम क्रमांक
03.	साविता कुमारी	अभिराम अनिल	सप्तम क्रमांक

आगनवाड़ी सहायिका पद के लिए
 सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार
 अनुसूचित जाती/अजाति के लिए आरक्षण है।
 पर इस कुल पर अन्त कोटि के कोई उम्मीदवार
 नहीं हैं। के कारण अत्यंत विद्वान् वर्ग के
 आवेदिका रामसुन्दरी कुमारी पति - लखन पौरनू
 मशहूरों को सर्वसम्मति से सहायिका पद के
 लिए आम सभा में चयन किया जाता है।
 इस पद के लिए बाकी की आवेदिका में
 क्रमांक 02 सुखी पति रामकुमार यादव
 सेविडा की गोदनी है एवं क्रमांक 03 सु

आवेदिका पीछे क्षेत्र ले वधा थी २१ अठ।
सहायिका पद के लिए परधार के मायके
का पावन करते हुए एक मात्र आवेदिका
राम सप्रती कुमारी जीत खाब मोहन मस्तो
को ग्राम समी में चयनित किया जाता है।

७ पदों का सूची - ०३

ग्राम में मुखिया श्री जयनाथ यादव
की अध्यक्षता में मुखिया द्वारा धन्यवाद
वाचन के बाद सुभा की कार्यवाही को
समाप्त किया जाता है।

१ मुखिया सह अध्यक्ष

२ उप मुखिया

३ पंचायत समिति का
सचिव

४ प्रधान शिक्षक -
मुख्यालय परी के पास
०६/०७

५ अनुसूचित जाति/जनजाति
सदस्य - गुलाम देवी

६ वार्ड सदस्य - सीता देवी

७ पंचायत सचिव

८ प्रेक्षक -

९ परीक्षक -
316

अनुलग्नक-

कार्यालय
पंचायत / (वार्ड संख्या) 9/12/19-54.1.1

जिला 44/8/1

पत्रांक:- 01

दिनांक:- 14-06-0

सेवा में,
श्रीमती 2/11/201 3/20/19
पति 44/8/1 3/20/19
ग्राम 9/12/19 पौ० 54.1.1
पिन 44/8/1
जिला 44/8/1

विषय:- प्रशिक्षण हेतु नामांकन की सूचना ।

महाशया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 3-6-2019 को बाल विकास परियोजना 9/12/19 को

2/11/201 9/12/19 को आंगनवाडी केन्द्र संख्या 2 श्री 3/20/19 के आंगनवाडी ग्राम/टोला 9/12/19 हेतु सेवा/सहायिका के चयन के लिए सम्पन्न आम सभा में लिए गये निर्णय के क्रम में सूचित किया है कि

1. आंगनवाडी सेवा/सहायिका के चयन के निमित्त आंगनवाडी केन्द्र संख्या 2/11/201 9/12/19

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी सूचना बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आपका जलम स दी जायेगी । प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा भाग नहीं लेने पर आपका चयन रद्द कर दिया जायेगा । प्रशिक्षण के विधे से निर्धारित मानदंड का अनुपालन किया जायना ।

यदि पत्र सरकार/नाकरों का आधार नहीं होगा ।

सदस्य सचिव का हस्ताक्षर / नाम

मुखिया / वार्ड सदस्य / वार्ड काउंसलर
हस्ताक्षर / नाम

Dr. B. K. Singh

कार्यालय

941514181

पंचायत / (वाड संख्या) ...

291514181 जिला ...

साम संख्या: 2

दिनांक: 29-6

चयन पत्र

श्रीमती शोभा कुमारी पति अनुराग कुमार
आम 9/10/07 का स्थान निवासी का आंगनवाडी सेविका/सहायिका के रूप में काम किया मुहल्ला 9/10/07 के आंगनवाडी केंद्र (काड संख्या) के सेवा के लिए दिनांक 3-6-07 का अध्यापित आम समा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना पदाधिकारी 291514181 प्रतिवेदन के आलोक में आपने दिनांक 20-6-07 से 26-6-07 तक संतोपप्रद इण्डक्शन/जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

- 2. आंगनवाडी समा समिति का कार्यिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग क आई0रसी0डी10एन निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आमके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर कि गया है अगर समा में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपको द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोपप्र डग से नियंत्रण नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है
3. समा समिति के काम में आपका समय केन्द्र का सेवा क्षेत्र तक सीमित करने के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह पत्र समा समिति के काम में आपका समय महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सामाजिक कार्य करने के लिए समुचित रहने के लिए समा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के सवाल-जवाब किये गये कार्य के समा समा के काम में आधार नहीं बनाए।

सदस्य सचिव का हस्ताक्षर / नाम एवं पदनाम

मुखिया / वाड सदस्य / वाड काउंसलर का हस्ताक्षर / नाम (पुंजौर के साथ)

16

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CWJC No.9097 of 2008
ARUNA KUMARI
Versus
THE STATE OF BIHAR & ORS.

For the Petitioner: M/s Uday Chand Prasad, Binod Kumar
Sinha and Manoj Kumar, Advocate
For the State : G.P. 2
For Private Respondent: Mr. Bam Bahadur Jha, Advocate

2. 25.11.2010

Heard learned Counsel for the petitioner and the learned
Counsel for the respondents.

It is submitted that aggrieved by the selection of
Respondent no. 8 on the post of Anganwari Sevika in preference
to the petitioner, the petitioner has already represented before
the District Magistrate and which remains pending consideration
till date.

If the petitioner has represented within a year of the
selection, as is contended on her behalf, let the District
Magistrate decide her grievances after hearing all concerned
including Respondent no. 8 and others by a reasoned and
speaking order within a maximum period of three months from
the date of receipt and/or presentation of a copy of this order.

The writ application stands disposed.

Sd/- (Navin Sinha, J.)

kumar/-

NOTIFIED TO THE PETITIONER

RAVINDR K. SINHA
29/11/2010

Handwritten notes and dates: 29.11.2010, 27.11.2010

DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE

COURT OFFICE

FORM NO. 1445 DT. 18/12/2008

STAMP DUTY
00000

POST
OFFICIAL

46228

8258128

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	प्रमाण	
125	रुपय 2500	श्री	1	1	-	1	2	-	1	1	-	1	1	12							
126	रुपय 2500	"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
127	रुपय 2500	"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
128	रुपय 2500	"	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-								
129	रुपय 2500	"	1	1	-	1	2	-	1	1	-	1	1								
130	रुपय 2500	"	1	1	-	1	2	-	1	1	-	1	1								
131	रुपय 2500	"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
132	रुपय 2500	"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
133	रुपय 2500	"	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-								
134	रुपय 2500	"	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-								
135	रुपय 2500	"	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
136	रुपय 2500	"	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-								
137	रुपय 2500	"																			
138	रुपय 2500	"																			
139	रुपय 2500	"	14	14	2	8	5	6													

30-10-1987
 O.P.S.O.
 144/137
 30-10-1987
 144/137
 30-10-1987

7 11
 12

गणित की शाखा में
 विभागाध्यक्ष प्रो. एस. ए. चव्हाण
 द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है।
 प्रो. एस. ए. चव्हाण द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है।
 प्रो. एस. ए. चव्हाण द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है।

प्रो. एस. ए. चव्हाण
 विभागाध्यक्ष
 गणित शाखा
 संत गांधी क्रांति
 विश्वविद्यालय
 पुणे

२०२२

Handwritten - 8

30

क्रम संख्या : 0913625

दिनांक : 05/07/2006



बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

2006 स्तृ. मध्यमापरीक्षायाः लब्धाङ्कपत्रम्

परीक्षार्थिनाः
SRUJANA KUMARI

पिछारतयतनाः
R. T. S. HIGH SCHOOL, LAKSHMI, KASHIHPURA

कोड संख्या : 3107

क्रमाङ्क : 278

दर्जायन सं. 51-002439/00 तर्ग : 2006

स्वतन्त्र अङ्काः	अतिरिक्त पराग्णि						दंडिक विषय		अतिरिक्त विषय		कुल	परिणामः	
	प्रथम पर्ये	द्वितीय पर्ये	तृतीय पर्ये	योगः	चतुर्थ पर्ये	पंचम पर्ये	षष्ठ पर्ये	संस्कृत + प्राचीन	योगः	संस्कृत + प्राचीन			योगः
स्वतन्त्र अङ्काः 420	100	100	100	300	100	100	100	ECC	100	MT	100	700	विशेष 67.00% श्रेणी 1st Div.
द्वितीय अंकी 315	10	30	30	90	30	30	30		30			215	
तृतीय अंकी 215	55	62	68	185	61	54	67	64	64	68	68	469	
संयोजकश्रेणी													

- (i) स्वतन्त्र परीक्षासंबन्ध प्रविषय अतिरिक्त 30 अङ्काः संयोजन व 215 अङ्काः प्राप्ताः।
- (ii) अतिरिक्त विषय 30 अङ्काः विषय योगश्रेणीः।

पटना

संयोजक/परीक्षा नियंत्रकः

Subject Percentage
313